

शपथ-पत्र

समक्ष: मा. अध्यक्ष, उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण।

मैं योगेन्द्र कुमार, सचिव, बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली शपथपूर्वक घोषण करता हूँ कि -

1. यह कि बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा अपनी परियोजना- SECTOR 2A, GREATER BAREILLY सेक्टर-2ए, ग्रेटर बरेली को उ.प्र. रेरा में पंजीकृत कराने हेतु दिनांक 15.08.2023 को ऑनलाइन आवेदन (ID 830619) किया गया है।
2. यह कि प्रस्तावित परियोजना हेतु कुल 268515 वर्गमी0 क्षेत्रफल के लिए आवेदन किया गया है, जिसमें से 230638 वर्गमी0 भूमि वर्तमान में बरेली विकास प्राधिकरण के स्वामित्व में है। शेष 37877.00 वर्गमी0 भूमि क्रय हेतु शेष है, जिसके विवरण निम्नवत है -
 - 1780.00 वर्गमी0 भूमि के सम्बन्ध में न्यायालय में वाद विचाराधीन है।
 - 24427.00 वर्गमी0 अनुसूचित जाति के भू-स्वामियों की है, जिसको क्रय करने हेतु उ0प्र0 राजस्व संहिता-2006 की धारा-98 के अनुसार अनुसूचित जाति के व्यक्ति को भूमि विक्रय से पूर्व जिलाधिकारी से अनुमति लिया जाना है। यह कि भूमि विक्रय की अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में भू-स्वामी के आवेदन के साथ पत्रावली जिलाधिकारी, बरेली के यहां विचाराधीन है। जिलाधिकारी, बरेली से भू-स्वामियों को विक्रय की अनुमति प्राप्त होते ही बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली के पक्ष में बैनामा करा लिया जायेगा।
 - 7660.00 वर्ग मी0 भूमि क्रय करने हेतु भू-स्वामियों से सहमति प्राप्त किया जाना प्रक्रियाधीन है।
 - 4010.00 वर्ग मी0 भूमि क्रय हेतु भू-स्वामियों से सहमति प्राप्त हो चुकी है जिसका बैनामा माह नवम्बर-2023 अथवा उससे पूर्व करा लिया जायेगा।
3. यह कि न्यायिक वाद से अछादित मात्र 1780.00 वर्ग मी0 की भूमि के अतिरिक्त किसी अन्य भूमि के अधिग्रहण में कोई बाधा नहीं है।
4. यह कि उपरोक्त अवशेष भूमि का यथासम्भव 03 माह में स्वामित्व प्राप्त करके उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण को अवगत कराया जायेगा।
5. यह कि जब तक उपरोक्त अवशेष भूमि 37877.00 वर्गमीटर का स्वामित्व बरेली विकास प्राधिकरण को प्राप्त नहीं हो जाता है तब तक उक्त भूमि पर किसी प्रकार का विकास कार्य नहीं कराया जायेगा और न ही उक्त भूमि का आवंटन/विक्रय किसी व्यक्ति/फर्म के पक्ष में किया जायेगा।
6. यह कि उपरोक्त अवशेष भूमि का स्वामित्व चरणबद्ध तरीके से बरेली विकास प्राधिकरण को प्राप्त होने के क्रम में स्वामित्व प्राप्त भूमि पर विकास कार्य कराने एवं भूमि आवंटन की कार्यवाही की जायेगी।
7. यह कि प्रस्तावित परियोजना ग्रेटर बरेली टाउनशिप के अंतर्गत एक छोटा भाग है। प्रस्तावित परियोजना (Sector-2A) में क्रय हेतु अवशेष भूमि का क्षेत्रफल अत्यधिक कम है, इसलिए मा. प्राधिकरण से अनुरोध है कि प्रस्तावित परियोजना को पंजीकृत करने का कष्ट करें।

सत्यापन

मैं योगेन्द्र कुमार, सचिव, बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली यह सत्यापित करता हूँ कि शपथ-पत्र की उपरोक्त उल्लिखित बिन्दु-1 से 7 तक के कथन मेरे निजी ज्ञान में सत्य एवं सही हैं, जिसे आज 14/9/2023 को स्थान बरेली में हस्ताक्षर कर सत्यापित किया गया।

Certified that Shri. योगेन्द्र कुमार
who has been identified by Shri.
presented this affidavit before me today at.....
AM/PM at Bareilly After sworn to the contents of
this affidavit and confirmed the contents which
have been stated.

SUBODH KUMAR
Advocate & Notary
Reg.No. 10612/14 Bareilly

14/9/2023

सचिव,
बरेली विकास प्राधिकरण

सचिव,
बरेली विकास प्राधिकरण

14/9/23